Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प, दौसा

पीठासीन अधिकारी–एम.पी. मीणा आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2001

उनवान

मूलचन्द पुत्र भूरामल जाति माली निवासी बड़ावास, दौसा तहसील व जिला दौसा (फौत)

1 गुलाब
2 बाबूलाल
] पुत्रगण मूलचन्द

3 कस्तूरी पत्नी मूलचन्द
जाति माली निवासी बड़ावास, दौसा तहसील व जिला दौसा

4 सन्तोष पुत्री मूलचन्द पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी सिसोदिया गार्डन, जयपुर

5 सूरज पुत्री मूलचन्द पत्नी दीपचन्द माली निवासी जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर

6 जमना पुत्री मूलचन्द पत्नी छोटे लाल जाति माली निवासी जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला दौसा

7 छोटी बाई पुत्री मूलचन्द पत्नी जगदीश जाति माली निवासी जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर

8 प्रेमदेवी पत्नी भागीरथ

9 मीरा पुत्री भागीरथ

10 सन्तरा पुत्री भागीरथ

11 अन्तिमा पुत्री भागीरथ नाबालिग जरिए संरक्षक माता प्रेमदेवी पत्नि भागीरथ

12 सुनील
13 अनिल
] पुत्रगण भागीरथ नाबालिक संरक्षक माता प्रेमदेवी जाति माली निवासी दौसा, तहसील व जिला दौसा

– अपीलाण्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवम्
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

34
23.10.12

Scanned with CamScanner

बनाम

कजोड़ पुत्र माँगीलाल

जौहरी पुत्र भूरामल

जाति मालीयान निवासी बड़ावास दौसा तहसील व जिला दौसा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा

– रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उप जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 29–03–2001 प्रकरण संख्या 68/91 उनवानी कजोड बनाम मूलचन्द

उपस्थितः– श्री वी.पी. नागर अभिभाषक–अपीलाण्टस

श्री विनोद विजय अभिभाषक – रेस्पोडेण्टस्

निर्णय

दिनांक 04–10–2012

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय भाजन की डिक्री दिनांक 29–03–2001 के प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी कजोड़ द्वारा अधिनस्थ लय उप जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष एवं वाद ख.नं. 1651 लगायत 1668 किता 18 कुल रकबा 6.89 है. वाके कस्बा दौसा के विभाजन का इस आशय प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण मूलचन्द व जौहरी की त खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी 1 व 1/2 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा हुआ है, किन्तु बहामी बंटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण हर फसल पर बहामी बंटवारे के अनुसार करने में रूकावट पैदा करते हैं। अतः [illegible] भूमि का विभाजन जावे।

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की [illegible] विभाजन की क डिक्री पारित कर तहसीलदार, दौसा को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के आदेश पारित कर दिये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित कर दी। इसी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील के लम्बित रहते अपीलाण्ट मूलचन्द की मृत्यु हो गई। उसके विधिक वारिसान अपीलाण्ट प्रतिस्थापित किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टस् ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि कृषि भूमि के विभाजन के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना आवश्यक है। उक्त नियम आदेशात्मक है। इन नियमों के अंतर्गत तहसीलदार कमिश्नर स्वयं भूखण्डों का मूल्यांकन कर जोत के विभाजन की स्कीम बनायेगा तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 14 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा अधिकृत कमिश्नर अपने अधिकार किसी अन्य को नहीं सोप सकता है। किन्तु इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी को जो विभाजन प्रस्ताव भेजे गये वे पटवारी व गिरदावर द्वारा बनाये गये हैं। तहसीलदार कमिश्नर मौके पर ही नहीं गये। पटवारी व गिरदावर द्वारा बनाये गये प्रस्ताव पर ही तहसीलदार कमिश्नर द्वारा काउण्टर साईन कर दिये एवं इसी प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने विभाजन की डिक्री जारी कर दी जो नियम विरूद्ध होने निरस्तनीय है। उनका यह भी तर्क है कि खसरा नं. 1652 पर मूलचन्द का 50 वर्ष से कब्जा है, जिसमें उसके पक्का मकान पेड़ बगैहरा लगे हुए है, किन्तु उक्त ख.नं. को तीन भागों में विभक्त कर दिया। इसी प्रकार ख.नं. 1654 पर अपीलाण्ट का मकान बना हुआ है जो जौहरीलाल को दे दिया। ख. नं. 1652 व 1654 के बीच 1653 है कम्पेक्ट एरिया बनाने के लिए उसे मूलचन्द के हिस्से में देना चाहिए था। ख.नं. 1655 शामलाती है, उसे शामिल में रखा जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 भी अपील स्वीकार करने की प्रार्थना कर चुका है वह भी मानता है कि विभाजन गलत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने भी अपनी बहस में कमिश्नर द्वारा विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाने की आपत्ति की है। उनका यह भी कहना है कि रेस्पोडेण्ट को कम्पेट एरिया नहीं दिया, बल्कि प्रत्येक खसरा नम्बर में पृथक—पृथक स्थान पर भूमि

Scanned with CamScanner

दे दी जिससे काश्त करना कठिन हो गया है। जबकि विभाजन के लिए यह प्रावधान है कि प्रत्येक हिस्सेदार को कम्पेट एरिया या एक स्थान पर हो ताकि काश्त करने में असुविधा ना हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत डिक्री पारित की है।

मैंने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार, दौसा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा तैयार किया गया है। यह विभाजन की धारा 53 के नियम 18 से 21 के विरूद्ध है। स्वयं कमिश्नर को मौके पर जाकर उभयपक्ष के कब्जे व सुविधा को ध्यान में रखकर ही विभाजन प्रस्ताव जहाँ तक संभव हो कब्जे अनुसार तैयार कर भिजवाने चाहिए थे। स्वयं रेस्पोडेण्टस् ही इसे स्वीकार करते हैं कि विभाजन गलत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित एवं तर्क संगत होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस् आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2001 एतद् द्वारा निरस्त किये जाकर प्रकरण उप जिला कलक्टर, दौसा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर कमिश्नर द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 04–10–2012 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(एम.सी.मीणा)
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं
विशेष राजस्व अपील अधिकारी,
जयपुर केम्प, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner